संख्या–पी-227/81-2-2022-800(225)/2022

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई 2022

विषय- जनपद मुजफ्फरनगर में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा ट्रांसपोर्टनगर मुजफ्फरनगर भोपा रोड से ग्राम जटमुझेडा तक पी0डब्लू0डी0 किमी0 चैनेज 79.400 से किमी0 चैनेज 85.900 (लम्बाई 6.5 किमी0) तथा मुजफ्फरनगर-जानसठ रोड (एन0एच0-58 फ्लाईओवर) से पवार धर्मकांटा ग्राम सिखेडा की सीमा तक, एन0एच0-709ए0डी0 किमी0 चैनेज 97.450 से किमी0 चैनेज 104.45 (लम्बाई 7.00 किमी0) कुल लम्बाई 13.500 किमी0 में 8" डाया सी0एस0 एवं 125 एम0एम0, एम0डी0पी0ई0 भूमिगत सी0एन0जी0 गैस पाईप लाईन डालने हेतु 0.6750 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/पाईपलाईन/154062/2022)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-3723/11-सी-एफपी/यूपी/पाईपलाईन/154062/2022 दिनांक 27.06.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक 27.07.2020 में विहित व्यवस्था के अंतर्गत जनपद मुजफ्फरनगर में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा ट्रांसपोर्टनगर मुजफ्फरनगर भोपा रोड से ग्राम जटमुझेडा तक पी0डब्लू0डी0 किमी0 चैनेज 79.400 से किमी0 चैनेज 85.900 (लम्बाई 6.5 किमी0) तथा मुजफ्फरनगर-जानसठ रोड (एन0एच0-58 फ्लाईओवर) से पवार धर्मकांटा ग्राम सिखेडा की सीमा तक, एन0एच0-709ए0डी0 किमी0 चैनेज 97.450 से किमी0 चैनेज 104.45 (लम्बाई 7.00 किमी0) कुल लम्बाई 13.500 किमी0 में 8" डाया सी0एस0 एवं 125 एम0एम0, एम0डी0पी0ई0 भूमिगत सी0एन0जी0 गैस पाईप लाईन डालने हेतु 0.6750 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन एतदद्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जाती हैं:-

है :-

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portel.
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.
5	The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
6	No labour camps shall be established on the forest land.

7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
10	Violation of any of these conditions will amut to violation of Forest (Conservaton) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
11	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https:/ parivesh.nic.in/).
13	पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान (Surface Right में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।
14	पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच. की गहराई 2.00 मीटर तथा चौडाई 1.00 मीटर से अधिक नही होगी।
15	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
16	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा।
17	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
19	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
20	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07 . 01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाईप लाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा
21	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
22	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
23	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J - 11013/41/2006- IA-II(I) , दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है।
24	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।
25	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये , जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

26	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।
27	नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।
28	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
29	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
30	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।
31	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के क्रम में भारत सरकार द्वारा रिवाइज आदेश दिनांक 06-01-2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।
32	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
33	प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Signed by आशीष तिवारी
Date: 13-07-2022 14:02:44
Reason: Approved

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

(1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार, लखनऊ।

(2)- वन संरक्षक सहारनपुर वृत्त सहारनपुर।

(3)- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।

(4) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।

(5)- डीजीएम आईजीएल मुजफ्फरनगर।

(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)
अनु सचिव